

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दो (02) सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना

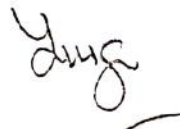
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दो (02) सदस्यों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद भारत सरकार के सचिव के स्तर का है।

योग्यता: -

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य क्षमता, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास पर्याप्त ज्ञान है, और जिन्होंने इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता दर्शायी है।

सदस्य की सेवा के निबंधन एवं शर्तें :

- (1) सदस्य उस तिथि से पाँच वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जिस तिथि तक वह अपना कार्यभार ग्रहण करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो। केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस आयोग में जिसमें पहले पद धारण कर चुके हैं उसमें सदस्य के रूप में उसी क्षमता में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (2) सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, ऐसे यथानिर्धारित प्राधिकरण के समक्ष तथा विनिर्धारित रूप एवं पद्धति में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।
- (3) सदस्य -
 - (क) समुचित सरकार को लिखित में कम से कम तीन माह का नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकता है, या
 - (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 90 के प्रावधानों के अनुसार उनको पद से हटाया जा सकता है।
- (4) सदस्य के उपरोक्त रूप में कार्यरत न होने पर वह :-
 - (क) किसी व्यवसायिक रोजगार के कार्यालय में कार्य की समाप्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये कोई व्यावसायिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा; तथा

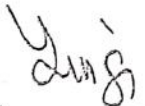


(ख) केंद्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग में किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा ।

(5) वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (वेतन, भत्ते और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2001 द्वारा शासित होंगी। सदस्य को प्रति माह अस्सी हजार रुपये (नियत), (पूर्व संशोधित वेतनमान) का वेतन प्राप्त होगा, यदि सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का वेतन उसके द्वारा आहरित पेंशन राशि द्वारा कम हो जाएगा।

(6) जिस व्यक्ति का वित्तीय या अन्य ऐसा हित हो जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रभावित होने की संभावना है, पात्र नहीं होगा।

आवेदन विस्तृत जीवन-वृत्त के साथ पांच वर्ष की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और सतर्कता क्लियरेंस की प्रतियां सचिव (ऊर्जा), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आठवां तल, बी-विंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 (विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर) को भेजें।


(जे. एस. राणा)

उप सचिव (ऊर्जा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(ऊर्जा विभाग)

आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दो (02) सदस्यों के लिए

आवेदन आमंत्रण सूचना

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दो (02) सदस्यों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद भारत सरकार के सचिव के स्तर का है।

योग्यता:-

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य क्षमता, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास पर्याप्त ज्ञान है, और जिन्होंने इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता दर्शायी है।

सदस्य की सेवा के निबंधन एवं शर्तें:-

(1) सदस्य उस तिथि से पाँच वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जिस तिथि तक वह अपना कार्यभार ग्रहण करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो। केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस आयोग में जिसमें पहले पद धारण कर चुके हैं उसमें सदस्य के रूप में उसी क्षमता में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, ऐसे यथानिर्धारित प्राधिकरण के समक्ष तथा विनिर्धारित रूप एवं पद्धति में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

(3) सदस्य -

(क) समुचित सरकार को लिखित में कम से कम तीन माह का नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकता है, या

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 90 के प्रावधानों के अनुसार उनको पद से हटाया जा सकता है।

(4) सदस्य के उपरोक्त रूप में कार्यरत न होने पर वह:-

(क) किसी व्यवसायिक रोजगार के कार्यालय में कार्य की समाप्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये कोई व्यावसायिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा, तथा

(ख) केन्द्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग में किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

(5) वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (वेतन, भत्ते और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2001 द्वारा शासित होंगी। सदस्य को प्रति माह अस्सी हजार रुपये (नियत), (पूर्व संशोधित वेतनमान) का वेतन प्राप्त होगा, यदि सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का वेतन उसके द्वारा आहरित पेंशन राशि द्वारा कम हो जाएगा।

(6) जिस व्यक्ति का वित्तीय या अन्य ऐसा हित हो जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रभावित होने की संभावना है, पात्र नहीं होगा।

आवेदन विस्तृत जीवन - वृत्त के साथ पांच वर्ष की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और सतर्कता क्लीयरेंस की प्रतियां सचिव (ऊर्जा), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आठवां तल, बी-विंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002 (विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर) को भेजें।

ह0/- (जे.एस. राणा)

उप सचिव (ऊर्जा)

DIP/Shabdarth/0258/19-20

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Note: Published on 22/6/2019 Hindustan

#

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(Salary, Allowances & Other Conditions of Service of the Chairperson and Members)

RULES, 2001¹

➤ In exercise of the power conferred by Section 60 of the Delhi Electricity Reform Act, 2000 (Delhi Act 2 of 2001), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules governing the salary, allowances and other conditions of service of the Chairperson and Members of the Delhi Electricity Regulatory Commission, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the *Delhi Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2001*.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Delhi Electricity Reform Act, 2000 (Delhi Act 2 of 2001);
- (b) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Oath of office and secrecy.**—The Chairperson and Members shall, before entering upon their office, subscribe an oath of office and secrecy before the Minister of Power of the Government. The oath of office and secrecy shall be administered in the following forms :—

Form of Oath of secrecy

I, do swear in the name of God/Solemnly affirm, that I shall not directly or indirectly, communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/Member of the Delhi Electricity Regulatory Commission except as may be required for the due discharge of my duties as such Chairperson/Member.

Form of Oath or Affirmation of allegiance to the Constitution

I, having been appointed Chairperson/Member of the Delhi Electricity Regulatory Commission, do swear in the name of God/Solemnly affirm, that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I shall uphold the sovereignty and integrity of India, that I shall duly and faithfully and to the

1. Notification No. F. 11 (90)/2000-EB/2147, dated 16.08.2001.

1

✓



[Signature]

economy instruction or other instruction issued from time to time.

10. Leave travel concession.—The Chairperson and a Member shall be entitled to leave travel concession as applicable to Group 'A' Officers of the Government drawing an equivalent pay.

11. Accommodation.—(1) The Chairperson and a Member shall have the option of claiming house rent allowance for residence located in the National Capital Territory of Delhi at the rate of thirty per cent of the basic pay drawn but no house will be allotted by the Government.

(2) In the case of a leased accommodation, the entitlement shall be determined by the Government, keeping in view the entitlement of the Chairman and Managing Director of a Schedule 'A' public sector enterprise in terms of plinth area and rental ceiling specified by the Department of Public Sector Enterprises, Government of India from time to time and also taking into consideration the market rents and plinth area specified by the Ministry of Urban Development for Type VI accommodation :

Provided that for such leased accommodation as is according to and within the entitlement of the Chairperson or the Member, the standard license fee shall be the same as in the case of Group 'A' officer of the Government drawing an equivalent pay :

Provided further that for leased accommodation, which is higher than the entitlement, recovery at the rate of ten per cent of the basic pay, i.e. without deducting pension shall be made from the salary of the Chairperson or Member, as the case may be.

12. Transport.—The Chairperson and a Member shall be allowed the option to make use of an official vehicle or reimbursement of such amount as may be fixed from time to time in respect of a Group 'A' officer of the Government drawing an equivalent pay for the use and maintenance of his personal car.

13. Medical treatment.—The Chairperson and a Member shall be entitled to medical reimbursement and facility as may be applicable to a Group 'A' officer of the Government drawing an equivalent pay.

14. Telephone facility, official meetings and entertainment expenses.—The Chairperson and a Member shall be eligible for telephone facilities, official meetings and entertainment expenses as admissible to a Group 'A' officer of the Government drawing an equivalent pay.

15. Other conditions of service.—Other condition of services of the Chairperson and a Member, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' officer of the Government drawing an equivalent pay.

16. Relaxation of provision of rules in certain cases.—When the Government is satisfied that operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, it may in the public interest and for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that rule.

* * * * *